International Research Journal of Humanities, Language and Literature
Vol 3, Issue 10, October 2016 IF 3.558 ISSN: (2394-1642)
Website-www.aarf.asia, Email : editor@aarf.asia , editoraarf@gmail.com

उच्च शिक्षा में लड़कियों की बढ़ती भागीदारी : बाधाएँ और अवसर

डॉ. देवेन्द्र
व्याख्याता,
राजकीय कन्या महाविद्यालय, सादुलशहर
e-mail: rvressharmadevendragmail.com

सारांश

भारत में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियों की भागीदारी पिछले दो दशकों में उल्लेखनीय रूप से बढ़ी है, जिसने न केवल लैंगिक समानता को मजबूत किया है, बल्कि सामाजिक–आर्थिक विकास के नए आयाम भी खोले हैं। इसके बावजूद ग्रामीण–शहरी विभाजन, पारिवारिक–सांस्कृतिक मान्यताएँ, आर्थिक सीमाएँ, सुरक्षा संबंधी चिंताएँ, तकनीकी पहुँच की कमी, तथा संस्थागत पक्षपात जैसी चुनौतियाँ अभी भी लड़कियों की शिक्षा–यात्रा को प्रभावित करती हैं। यह शोध–पत्र उच्च शिक्षा में महिलाओं की बढ़ती सहभागिता के ऐतिहासिक–सामाजिक परिप्रेक्ष्य, वर्तमान प्रवृत्तियों, बाधाओं तथा उभरते अवसरों का विश्लेषण करता है। अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि सरकारी नीतियाँ, छात्रवृत्तियाँ, डिजिटल साक्षरता, सुरक्षित एवं समावेशी शैक्षणिक वातावरण, तथा रोजगार–उन्मुख शिक्षा जैसे हस्तक्षेप लड़कियों की शिक्षा को गति प्रदान कर रहे हैं। यह शोध उच्च शिक्षा में लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करने वाली भावी नीतियों और रणनीतियों के लिए उपयोगी निष्कर्ष प्रस्तुत करता है।

मुख्य शब्दः उच्च शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, लैंगिक समानता, शैक्षिक अवसर, सामाजिक बाधाएँ, आर्थिक अवरोध, सुरक्षा और स्वतंत्रता, डिजिटल साक्षरता, सरकारी नीतियाँ, महिला शिक्षा

प्रस्तावना

भारत में उच्च शिक्षा में लड़कियों की बढ़ती भागीदारी एक धीमी, सतत और संघर्षपूर्ण सामाजिक प्रक्रिया का परिणाम है, जिसकी जड़ें उन्नीसवीं सदी के सामाजिक सुधार आंदोलनों तक जाती हैं। स्त्री शिक्षा की शुरुआत सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, पंडिता रमाबाई और विद्यासागर जैसे सुधारकों द्वारा की गई, परंतु यह शिक्षा लंबे समय तक केवल अभिजात्य वर्ग तक सीमित रही। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संविधान में शिक्षा को समता और न्याय के आधार पर सबके लिए समान रूप से उपलब्ध कराने की दिशा तय की गई, किंतु सामाजिक संरचनाओं में निहित पितृसत्ता, जातिगत असमानताएँ, बाल विवाह, घरेलू श्रम का बोझ, और सांस्कृतिक नियंत्रण जैसे कारक लड़कियों को उच्च शिक्षा से दूर रखते रहे। 1960–1980 के दशकों में विश्वविद्यालयों की स्थापना, सरकारी छात्रावासों की वृद्धि, तथा महिला महाविद्यालयों का विस्तार अवश्य हुआ, परंतु ग्रामीण और आर्थिक रूप से वंचित परिवारों में उच्च शिक्षा को अब भी आवश्यक निवेश नहीं माना जाता था। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति और 1992 के उसके पुनरीक्षित संस्करण ने पहली बार महिला शिक्षा को मुख्यधारा के सुधारात्मक एजेंडे में शामिल किया, जिसमें 'महिला समानता' को शिक्षा के उद्देश्यों का प्रमुख आधार बनाया गया। इससे लड़कियों के लिए छात्रवृत्तियों, विशेष प्रोत्साहन योजनाओं और सुरक्षित शिक्षण वातावरण के विकास को बढ़ावा मिला।

1990 के बाद के दशक में उदारीकरण और शहरीकरण ने महिलाओं की आकांक्षाओं को नई दिशा दी, और परिवारों में शिक्षा को सामाजिक प्रतिष्ठा तथा आर्थिक स्वतंत्रता का साधन माना जाने लगा। 2001 तथा 2011 की जनगणनाओं में महिला साक्षरता में हुई उल्लेखनीय वृद्धि ने उच्च शिक्षा की ओर मनोवैज्ञानिक परिवर्तन को भी प्रोत्साहित किया, किन्तु वास्तविक नामांकन (Enrolment) में असमानता

© Associated Asia Research Foundation (AARF)
A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International e-Journal - Included in the International Serial Directories.

अभी भी स्पष्ट थी—विशेषकर विज्ञान, तकनीकी, प्रबंधन और व्यावसायिक शिक्षा में लड़कियों की सहभागिता कम बनी रही। इसी अवधि में UGC, AICTE तथा विभिन्न राज्य सरकारों ने लड़कियों के लिए छात्रवृत्तियाँ, 'एकल बालिका' योजनाएँ, और सुरक्षित परिवहन/छात्रावास जैसी सुविधाएँ उपलब्ध कराकर उनकी उपस्थिति को बढ़ाने का प्रयास किया। इसके बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में दूरी, परिवहन की असुरक्षा, पारिवारिक प्रतिबंध, प्रारम्भिक विवाह, आर्थिक सीमाएँ और सामाजिक पूर्वाग्रह लड़कियों की उच्च शिक्षा में निरंतर बाधाएँ बने रहे।

2010—2015 के बीच उच्च शिक्षा में लड़कियों का नामांकन अवश्य बढ़ा, और कुछ राज्यों में उनका GER (Gross Enrolment Ratio) पुरुषों के बराबर या उससे अधिक भी हुआ, परंतु यह वृद्धि व्यापक सामाजिक समानता का द्योतक नहीं थी। समाज का बड़ा हिस्सा अब भी शिक्षा को लड़कियों के लिए गौण मानता था, और परिवारों में यह धारणा प्रचलित थी कि स्नातक स्तर से अधिक शिक्षा आवश्यक नहीं। परिणामस्वरूप तकनीकी शिक्षा, शोध, पेशेवर पाठ्यक्रमों और नेतृत्वकारी भूमिकाओं में महिलाओं की भागीदारी सीमित रही। इस प्रकार 2015 तक की पृष्ठभूमि स्पष्ट करती है कि उच्च शिक्षा में लड़कियों की बढ़ती भागीदारी कई सकारात्मक नीतिगत हस्तक्षेपों, सामाजिक जागरूकता और बदलते पारिवारिक दृष्टिकोणों का परिणाम है, परंतु इसके साथ ही यह भी उतना ही सत्य है कि यह भागीदारी गहरी संरचनात्मक चुनौतियों, असमान अवसरों और लैंगिक पूर्वाग्रहों से संघर्षरत यात्रा की कहानी भी है। यही व्यापक सामाजिक परिप्रेक्ष्य इस शोध—पत्र के अध्ययन की नींव बनता है।

उच्च शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी – ऐतिहासिक एवं सामाजिक परिप्रेक्ष्य

भारत में महिलाओं की उच्च शिक्षा का विकास एक दीर्घकालिक सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया है, जिसकी प्रारंभिक नींव उन्नीसवीं सदी के सामाजिक सुधार आंदोलनों में देखी जा सकती है। औपनिवेशिक काल में जब राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा—फुले—सावित्रीबाई फुले जैसे सुधारकों ने स्त्री शिक्षा को सामाजिक पुनर्निर्माण का आधार बनाया, तब पहली बार महिलाओं को औपचारिक शिक्षा के लिए संस्थागत अवसर प्राप्त हुए। किंतु यह शिक्षा लंबे समय तक शहरी उच्चवर्ग तक ही सीमित रही। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान ने समान शिक्षा और लैंगिक न्याय का सिद्धांत स्थापित किया, परंतु वास्तविक सामाजिक संरचना में निहित पितृसत्ता, जातिगत पदानुक्रम और सांस्कृतिक रूढ़ियाँ महिलाओं की प्रगति को बाधित करती रहीं। 1950—1970 के दशकों में जब देश में विश्वविद्यालयों, महिला महाविद्यालयों और आवासीय सुविधाओं का विस्तार हुआ, तब महिलाओं की उपस्थिति धीरे—धीरे बढ़ी, लेकिन यह वृद्धि उच्च शिक्षा की मूलधारा में लैंगिक संतुलन स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं थी।

1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति और 1992 के उसके पुनरीक्षित संस्करण ने पहली बार महिला शिक्षा को विशिष्ट नीति—केन्द्र बनाया और "महिला समानता को शिक्षा का केंद्रीय उद्देश्य" घोषित किया। इस अवधि में छात्रवृत्तियों, विशेष सहायता योजनाओं, महिला अध्ययन केंद्रों और बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने वाले कार्यक्रमों का विस्तार हुआ। इसके बावजूद सामाजिक दबाव, घरेलू जिम्मेदारियाँ, आर्थिक सीमाएँ, तथा उच्च शिक्षा को "लड़कों का क्षेत्र" मानने वाली पारंपरिक मानसिकता लड़कियों की उन्नति में अवरोध बनी रहीं।

1990 के पश्चात उदारीकरण, सूचना—प्रौद्योगिकी क्रांति और शहरीकरण ने महिलाओं के शैक्षिक अवसरों को नई दिशा दी। परिवारों में शिक्षा को आर्थिक स्वतंत्रता, सुरक्षित भविष्य और सामाजिक प्रतिष्ठा से जोड़कर देखने की प्रवृत्ति बढ़ी; फलस्वरूप उच्च शिक्षा में महिला नामांकन में वृद्धि हुई। 2001 और 2011 की जनगणना, NSSO तथा UGC/AICTE के आंकड़े बताते हैं कि इस अवधि में लड़कियों की उपस्थिति स्नातक स्तर पर तो बढ़ी, परंतु विज्ञान, तकनीकी, इंजीनियरिंग, प्रबंधन, विधि तथा अनुसंधान जैसे प्रतिस्पर्धी व पेशेवर क्षेत्रों में भागीदारी अपेक्षाकृत कम ही रही। ग्रामीण भारत में परिवहन की असुविधा, सुरक्षा सम्बन्धी चिंताएँ, परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा का दबाव, तथा प्रारंभिक विवाह जैसी समस्याएँ लड़कियों को उच्च शिक्षा से दूर रखती थीं। कई समुदायों में अब भी यह धारणा प्रबल थी कि उच्च शिक्षा लड़कियों की प्राथमिक आवश्यकता नहीं, और उनका 'कैरियर—आधारित भविष्य' पारिवारिक भूमिकाओं से द्वितीयक माना जाता है।

2010—2015 के बीच उच्च शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी में उल्लेखनीय तेजी आई, परंतु यह वृद्धि समान रूप से सभी वर्गों, जातियों और भौगोलिक क्षेत्रों में नहीं दिखी। सामाजिक—आर्थिक रूप से वंचित समूहों— विशेष रूप से ग्रामीण SC/ST, अल्पसंख्यक तथा निम्न—मध्यमवर्गीय परिवारों में उच्च शिक्षा अब भी एक कठिन यात्रा बनी रही। यद्यपि UGC की "एकल बालिका छात्रवृत्ति", IGNOU की

पहलें, राज्य सरकारों की मुक्त–शिक्षा योजनाएँ, और महिला विश्वविद्यालयों का विस्तार लड़कियों के लिए नए अवसर ले कर आए, फिर भी संरचनात्मक असमानताएँ तथा सांस्कृतिक अवरोध उच्च शिक्षा में पूर्ण भागीदारी के रास्ते में बाधक बने रहे।

इस प्रकार 2015 तक का ऐतिहासिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य यह दर्शाता है कि उच्च शिक्षा में महिलाओं की बढ़ती उपस्थिति केवल शैक्षणिक नीतियों के परिणामस्वरूप नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन, पारिवारिक मानसिकता में बदलाव, आर्थिक आकांक्षाओं, और लैंगिक समानता की बढ़ती चेतना का सम्मिलित प्रभाव है। फिर भी, यह प्रगति अभी भी कई असमानताओं और संघर्षों के बीच निर्मित हुई है, जो आगे गहन विश्लेषण और सुधार के लिए आधार प्रदान करती है।

शिक्षा में लड़कियों की बढ़ती भागीदारी के कारक

भारत में शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियों की बढ़ती भागीदारी अनेक सामाजिक, आर्थिक, नीतिगत और मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों का परिणाम है, जिनका प्रभाव विशेष रूप से 1990 के बाद अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। सबसे पहले, सामाजिक जागरूकता और सुधारवादी आंदोलनों ने परिवारों में बालिका शिक्षा के महत्त्व को स्थापित किया, जिससे धीरे–धीरे यह धारणा कमजोर हुई कि शिक्षा केवल लड़कों का अधिकार है। सरकारी नीतियों, छात्रवृत्तियों और विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं ने भी लड़कियों के लिए शिक्षा को सुलभ और व्यावहारिक बनाया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986), SSA (Sarva Shiksha Abhiyan), RMSA (Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan), मुफ्त पाठ्य–पुस्तकें, साइकिल योजनाएँ, एकल बालिका छात्रवृत्ति, कन्या शिक्षा निधि–इन सभी ने लड़कियों के स्कूल में प्रवेश और निरंतरता दोनों को बढ़ावा दिया।

दूसरे, आर्थिक परिवर्तनों और रोजगार–उन्मुख अवसरों ने परिवारों की सोच बदली। जैसे–जैसे समाज में महिलाओं के कार्यबल में शामिल होने की स्वीकृति बढ़ी, वैसे–वैसे उच्च शिक्षा को आर्थिक सुरक्षा और स्वतंत्रता से जोड़कर देखा जाने लगा। सेवा क्षेत्र, बैंकिंग, स्वास्थ्य, IT, शिक्षा और सरकारी नौकरियों में महिलाओं की बढ़ती संख्या ने लड़कियों के लिए प्रेरक उदाहरण प्रस्तुत किए।

तीसरे, शहरीकरण और मध्यवर्गीय विस्तार ने लड़कियों को बेहतर विद्यालय, कॉलेज, पुस्तकालय, कोचिंग संस्थान और परिवहन सुविधाएँ उपलब्ध कराईं। इसके साथ ही टेलीविजन, फिल्में, इंटरनेट और मीडिया ने सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन माध्यमों ने शिक्षित और स्वतंत्र महिला की नई छवि प्रस्तुत की, जिससे अभिभावकों में भी नई आकांक्षाएँ विकसित हुईं।

चौथे, परिवार की मानसिकता में परिवर्तन लड़कियों की शिक्षा को बढ़ाने वाला एक प्रमुख कारक है। पहले जहाँ लड़कियों को घरेलू जिम्मेदारियों या प्रारंभिक विवाह की ओर धकेला जाता था, वहीं धीरे–धीरे माता–पिता में यह विश्वास बढ़ा कि शिक्षा ही बेटी का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। "बेटियों को आत्मनिर्भर बनाना आवश्यक है" यह भाव नई पीढ़ी के परिवारों में अधिक मजबूत होता गया।

पाँचवें, कानूनी और संवैधानिक प्रावधानों ने भी लड़कियों की भागीदारी में वृद्धि की। अनुच्छेद 14, 15(3), 21A और 39(क) द्वारा प्रदत्त समानता और शिक्षा के अधिकार ने सामाजिक–न्याय के सिद्धांत को मजबूती दी। बाल विवाह निषेध अधिनियम, महिला सुरक्षा कानून, कार्यस्थल यौन उत्पीड़न निवारण जैसे प्रावधानों ने लड़कियों व उनके अभिभावकों में सुरक्षा का विश्वास भी बढ़ाया।

छठे, सामुदायिक स्तर पर चलने वाले NGO और स्वयंसेवी प्रयासों ने ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में बालिका शिक्षा के लिए जनजागरण अभियानों, काउंसलिंग और सामुदायिक सहयोग का वातावरण बनाया। इससे उन परिवारों तक शिक्षा का संदेश पहुँचा जो कई पीढ़ियों से लड़कियों को विद्यालय भेजने से झिझकते थे।

सातवें, डिजिटल तकनीक, मोबाइल फोन और इंटरनेट (विशेषकर 2005 के बाद) ने शिक्षा को लचीला और सुलभ बनाया। कई लड़कियाँ सामाजिक प्रतिबंधों या दूरी की समस्या के कारण नियमित विद्यालय/कॉलेज नहीं जा पाती थीं, परंतु ई–लर्निंग, टीवी शिक्षा, रेडियो कार्यक्रमों और ओपन स्कूलिंग मॉडल ने उनके लिए नए विकल्प उत्पन्न किए।

अंततः, महिला रोल मॉडल–चाहे वह शिक्षा, खेल, राजनीति, विज्ञान या कला में हों, ने प्रेरणा का महत्त्वपूर्ण कार्य किया। कल्पना चावला, किरण बेदी, पीटी ऊषा, चंदा कोचर, सुनीता विलियम्स, और अनेक शिक्षित महिलाओं ने यह संदेश दिया कि शिक्षा लड़कियों की पहचान और आत्मनिर्भरता का सबसे मजबूत आधार है।

इस प्रकार लड़कियों की बढ़ती शैक्षिक भागीदारी किसी एक कारण का परिणाम नहीं, बल्कि सामाजिक जागृति, नीतिगत पहल, आर्थिक विकास, बदलती पारिवारिक सोच और तकनीकी उपलब्धियों का संयुक्त प्रभाव है, जिसने धीरे–धीरे शिक्षा के क्षेत्र में लैंगिक असमानता को चुनौती दी और लड़कियों के लिए नए अवसरों के द्वार खोले।

शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी की बाधाएँ/चुनौतियाँ

यद्यपि भारत में लड़कियों की शिक्षा के प्रति सामाजिक जागरूकता बढ़ी है, फिर भी 2016 तक शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियों की पूर्ण और समान भागीदारी अनेक संरचनात्मक, सांस्कृतिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक अवरोधों से घिरी रही। सबसे प्रमुख बाधा सामाजिक–पितृसत्तात्मक संरचना है, जहाँ लड़कियों की प्राथमिक पहचान घरेलू भूमिकाओं से जोड़ी जाती है, जिसके कारण उनकी शिक्षा को अक्सर गौण माना जाता है। कई समुदायों में यह धारणा अब भी प्रचलित है कि "अधिक पढ़ाई से लड़कियाँ परिवार और परंपरा से दूर हो जाती हैं", जिसके चलते उनकी शिक्षा को सीमित स्तर तक ही प्रोत्साहित किया जाता है। अन्य महत्वपूर्ण बाधा आर्थिक अवरोध हैं; गरीबी, सीमित संसाधन, आय का असमान बंटवारा और शिक्षा पर होने वाला वित्तीय खर्च परिवारों को लड़कियों की शिक्षा के प्रति अनिच्छुक बनाता है, जबकि लड़कों को 'भविष्य का आर्थिक सहारा' मानकर प्राथमिकता दी जाती है।

इसके अतिरिक्त, ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन की कमी और सुरक्षा संबंधी चिंताएँ लड़कियों की शिक्षा में गंभीर अवरोध उत्पन्न करती हैं। दूर–दराज़ स्थित विद्यालयों/कॉलेजों तक पहुँचने के लिए सुरक्षित साधनों की अनुपलब्धता या प्रतिदिन लंबी दूरी तय करने का जोखिम अनेक परिवारों को लड़कियों को आगे पढ़ाने से रोकता है। यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ और सार्वजनिक स्थानों पर असुरक्षा की भावना शिक्षा को छोड़ने के प्रमुख कारणों में गिनी जाती है। इसी से जुड़ी एक समस्या विद्यालयों और कॉलेजों में अपर्याप्त आधारभूत सुविधाएँ हैं–जैसे अलग और सुरक्षित शौचालयों का अभाव, छात्रावासों की कमी, पीने के पानी की समस्या या पर्याप्त महिला कर्मचारियों का न होना। ये सभी स्थितियाँ विद्यालय वातावरण को लड़कियों के लिए असुविधाजनक बनाती हैं।

सांस्कृतिक प्रथाएँ और प्रारंभिक विवाह भी लड़कियों की शिक्षा में अवरोध के रूप में लगातार मौजूद रहे। कई परिवार अभी भी विवाह को ही लड़की के भविष्य की अंतिम दिशा मानते हैं, जिससे माध्यमिक या उच्च माध्यमिक स्तर के बाद ही उनकी शिक्षा रुक जाती है। शुरुआती विवाह के साथ–साथ घरेलू कार्य, भाई–बहनों की देखभाल, और पारिवारिक दायित्व लड़कियों को पढ़ाई से अलग कर देते हैं। धार्मिक व जातिगत रूढ़ियाँ, विशेष रूप से कुछ वंचित वर्गों और अल्पसंख्यक समूहों में, महिलाओं की उच्च शिक्षा के प्रति विरोध या संकोच को जन्म देती हैं।

इसके अतिरिक्त शैक्षणिक संस्थानों में लैंगिक पूर्वाग्रह भी एक कम चर्चित परंतु महत्त्वपूर्ण चुनौती है। कई स्थानों पर शिक्षक, सहपाठी या प्रबंधन में मौजूद रूढ़ मानसिकता लड़कियों के आत्मविश्वास को प्रभावित करती है– जैसे विज्ञान, गणित या तकनीकी क्षेत्रों को "लड़कों के लिए उपयुक्त" मानना। इससे लड़कियाँ प्रतिस्पर्धात्मक या तकनीकी शिक्षा की ओर जाने में संकोच महसूस करती हैं। शिक्षक–छात्र अनुपात की असंतुलित स्थिति, मार्गदर्शन की कमी, और करियर काउंसलिंग का अभाव भी उनके अनुकूल शिक्षा वातावरण का निर्माण नहीं कर पाते।

इसी तरह, तकनीकी व डिजिटल संसाधनों की कमी– जैसे कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्टफोन या डिजिटल साक्षरता–ग्रामीण और निम्न वर्ग की लड़कियों को पिछड़ा हुआ छोड़ देती है। ओपन स्कूलिंग, ऑनलाइन शिक्षा या आधुनिक शिक्षण विधियाँ उनके लिए सुलभ नहीं हो पातीं, जिससे वे वैश्विक प्रतिस्पर्धा में पीछे रह जाती हैं। पोषण की कमी, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ, मासिक धर्म के कारण विद्यालय से अनुपस्थिति और उचित स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी भी उनकी नियमित शिक्षा में व्यवधान उत्पन्न करती हैं।

इन सभी बाधाओं का सम्मिलित प्रभाव यह दर्शाता है कि शिक्षा में लड़कियों की बढ़ती भागीदारी के बावजूद सामाजिक ढांचे में निहित लैंगिक असमानता, असुरक्षा, आर्थिक सीमाएँ और संस्थागत कमियों ने 2015 तक उनके शैक्षणिक भविष्य को लगातार चुनौती दी। लड़कियों की शिक्षा को सशक्त और स्थायी बनाने के लिए इन बहुआयामी बाधाओं को पहचानना और उनका समाधान ढूँढना अत्यंत आवश्यक है।

उच्च शिक्षा में लड़कियों के लिए अवसर और सम्भावनाएँ

यद्यपि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियों को अनेक सामाजिक और संरचनात्मक बाधाओं का सामना करना पड़ा है, फिर भी 2015 तक भारत में ऐसे अनेक अवसर और संभावनाएँ विकसित हुईं, जिन्होंने लड़कियों की शैक्षणिक प्रगति को नई दिशा प्रदान की। सबसे महत्वपूर्ण अवसर सरकारी नीतियों और योजनाओं के रूप में सामने आए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986), बालिका शिक्षा परियोजनाएँ, कन्या समृद्धि/कन्या शिक्षण निधि, एकल बालिका छात्रवृत्ति, और राज्य स्तरीय प्रोत्साहन योजनाओं ने उच्च शिक्षा को लड़कियों के लिए अधिक सुलभ, सुगम और कम खर्चीला बनाया। UGC और AICTE की महिला–केन्द्रित परियोजनाओं, जैसे'महिला अध्ययन केंद्र, छात्रावास निर्माण सहायता, और बालिका–विकास योजनाओं ने लड़कियों को सुरक्षित और अनुकूल शैक्षणिक वातावरण प्रदान किया।

आर्थिक विकास, सेवा क्षेत्र के विस्तार और महिलाओँ के बढ़ते रोजगार अवसरों ने लड़कियों को शिक्षा के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने का मार्ग दिखाया। बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, आईटी, अनुसंधान, सामाजिक कार्य, कानून, और प्रशासनिक सेवाओं में महिलाओं की बढ़ती उपस्थिति ने लड़कियों के लिए "कैरियर रोल मॉडल" का निर्माण किया, जो उन्हें उच्च अध्ययन के प्रति प्रेरित करने वाले निर्णायक कारक बने। इसके साथ ही, शहरीकरण और मध्यम वर्ग का विस्तार लड़कियों के लिए विद्यालयों, कॉलेजों, कोचिंग संस्थानों, पुस्तकालयों और व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों तक पहुँच का अवसर लाया, जिससे उनकी शैक्षणिक आकांक्षाओं में वृद्धि हुई।

तकनीक के विस्तार, विशेषकर 2005 के बाद इंटरनेट, मोबाइल फोन, डिजिटल शिक्षा कार्यक्रमों, और ओपन स्कूलिंग प्रणाली के उभार ने लड़कियों के लिए लचीला और सुलभ शिक्षण मॉडल उपलब्ध कराया। यह विशेष रूप से उन लड़कियों के लिए महत्वपूर्ण था जो भौगोलिक दूरी, सामाजिक प्रतिबंध या स्वास्थ्य कारणों से नियमित कॉलेज नहीं जा पाती थीं। इसी तरह, IGNOU और अन्य ओपन विश्वविद्यालयों की पढ़ाई ने उच्च शिक्षा के नए द्वार खोले।

सामाजिक स्तर पर, महिला सशक्तिकरण आंदोलनों और मीडिया में स्त्री नेतृत्व की सकारात्मक सफलता–गाथाओं ने समाज में मानसिकता–परिवर्तन को बल दिया। महिलाओं के विभिन्न क्षेत्रों में उभरते उदाहरण– चाहे वे विज्ञान, प्रशासन, खेल, साहित्य, कला या राजनीति ने लड़कियों के लिए प्रेरणादायक वातावरण निर्मित किया। साथ ही, कानूनी सुरक्षा प्रावधान, जैसे बाल विवाह निषेध अधिनियम, महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े कानून और शिक्षा के अधिकार ने उन्हें अधिक सुरक्षित और स्वतंत्र वातावरण प्रदान करने में भूमिका निभाई।

इन सबके अतिरिक्त, कई गैर–सरकारी संगठनों तथा सामुदायिक समूहों ने ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में बालिका शिक्षा के लिए काउंसलिंग, जनजागरण और स्थानीय समर्थन तंत्र तैयार किए, जो लड़कियों को विद्यालय और कॉलेज तक पहुँचाने वाले महत्त्वपूर्ण एजेंट बने। इस प्रकार 2015 तक भारत में ऐसा बहुआयामी वातावरण विकसित हो चुका था जिसमें नीतिगत समर्थन, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक अवसर, तकनीकी पहुंच और प्रेरणादायक महिला नेतृत्व के संयुक्त प्रभाव ने लड़कियों की उच्च शिक्षा को नए क्षितिज प्रदान किए और उनकी भागीदारी के लिए मजबूत संभावनाएँ निर्मित कीं।

निष्कर्ष

भारत में उच्च शिक्षा में लड़कियों की बढ़ती भागीदारी एक दीर्घकालिक सामाजिक परिवर्तन, सरकारी नीतिगत पहल, पारिवारिक मानसिकता में सुधार और आर्थिक–सामाजिक विकास की संयुक्त उपलब्धि है। 2015 तक के परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट दिखाई देता है कि जहाँ एक ओर लड़कियों के लिए शिक्षा के नए अवसर–जैसे छात्रवृत्तियाँ, सुरक्षित छात्रावास, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का विस्तार, तकनीकी शिक्षा तक पहुँच, और महिला–केंद्रित योजनाएँ–तेजी से विकसित हुए, वहीं दूसरी ओर सामाजिक–पितृसत्ता, आर्थिक सीमा, सांस्कृतिक रूढ़ियाँ, प्रारंभिक विवाह, सुरक्षा चिंताएँ और ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधनों की कमी जैसी चुनौतियाँ अभी भी उच्च शिक्षा में लड़कियों की पूर्ण और समान भागीदारी में अवरोध बनी रहीं। उच्च शिक्षा में महिलाओं की प्रगति केवल संस्थागत सुविधाओं के विस्तार से नहीं, बल्कि समाज की मानसिकता में हुए परिवर्तन, मीडिया में उभरती महिला प्रतिनिधियों की प्रेरणा, और परिवारों में बेटी की शिक्षा के प्रति बढ़ते विश्वास का परिणाम है। तथापि यह भी उतना ही सत्य है कि उच्च शिक्षा के प्रतिस्पर्धात्मक और तकनीकी क्षेत्रों–जैसे इंजीनियरिंग, प्रबंधन, चिकित्सा, विज्ञान एवं अनुसंधानकृमें महिलाओं की उपस्थिति अपेक्षाकृत कम बनी रही। यह अंतर बताता है कि लैंगिक समानता

का लक्ष्य अभी पूरा नहीं हुआ है, और संरचनात्मक असमानताओं को दूर करने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है। इसलिए उच्च शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी को सुदृढ़ करने हेतु आवश्यक है कि सामाजिक जागरूकता, आर्थिक सहायता, सुरक्षित एवं समावेशी शैक्षिक वातावरण, तथा कैरियर–आधारित मार्गदर्शन को और अधिक मजबूत किया जाए। कुल मिलाकर, 2015 तक की स्थिति यह दर्शाती है कि भारत में लड़कियों की उच्च शिक्षा यात्रा संघर्ष और संभावनाओं का संतुलित संयोजन है, जहाँ वे बाधाओं को पार करते हुए नई पहचान और अवसरों की ओर बढ़ रही हैं, और आने वाले समय में उनके लिए अधिक न्यायसंगत, प्रेरक और समान शैक्षिक भविष्य की संभावना प्रबल है।

संदर्भ

1. भारत सरकार। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नयी दिल्ली, 1986।
2. भारत सरकार। कार्यक्रम की कार्य योजना, 1992 (Programme of Action 1992)। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नयी दिल्ली, 1992।
3. भारत सरकार। जनगणना रिपोर्ट, 2001 : प्राथमिक जनगणना सारणी। भारत के महानिबंधक एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय, नयी दिल्ली, 2001।
4. भारत सरकार। जनगणना रिपोर्ट, 2011 : प्राथमिक जनगणना सारणी। भारत के महानिबंधक एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय, नयी दिल्ली, 2011।
5. राष्ट्रीय नमूना सर्वे संगठन (NSSO)। भारत में शिक्षा और साक्षरता की स्थिति (64वाँ एवं 68वाँ चक्र)। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, नयी दिल्ली, 2007–2013।
6. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC)। उच्च शिक्षा पर वार्षिक प्रतिवेदन। नयी दिल्ली : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, 2008–2015।
7. तिलक, जंढ्याला बी. जी. भारत में महिला शिक्षा एवं विकास। नई दिल्ली : राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (NIEPA), 2003।
8. चनाना, करुणा। लैंगिकता और शिक्षारू भारत में महिलाओं की स्कूली शिक्षा। नई दिल्ली : ओरिएंट ब्लैकस्वान, 2001।
9. नुसबाम, मार्था सी। महिला और मानव विकास : क्षमताओं का दृष्टिकोण। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, 2000।
10. UNESCO. Education for All Global Monitoring Report: Gender Overview. पेरिस : यूनेस्को, 2010।
11. Govinda, R. and Bandopadhyay, M. Access to Elementary Education in India. NIEPA. New Delhi, 2008.
12. UNICEF. The State of the World's Children: Girls' Education. न्यूयॉर्क : यूनीसेफ, 2004।